न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 139/2018

अनवान :

1. मांगेराम पुत्र फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र मांगेराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
3. पवन कुमार पुत्र मांगेराम जाति (जाट) कुम्हार निवासी जिगरासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. फुलाराम पुत्र पोकर जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. कलावती पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
3. धन्नो पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
4. कृष्णा पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
5. सरोज पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
6. बिरखा पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव **: वादीगण**

दिनांक : 14.9.18

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि गांव जिगासरी छोटी की सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 62/61 के खसरा सं. 24 की 8.056 हैक्टर, खसरा सं. 138 की 3.313 हैक्टर, खसरा सं. 251 की 0.240 हैक्टर कुल 11.609 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी पेश है। यही बिनाय दावा है।

वादी संख्या 1 मांगेराम, प्रतिवादी संख्या 1 मनफुल उर्फ फुलाराम का पुत्र है तथा वादीगण संख्या 2 व 3, सुरेश कुमार व पवन कुमार प्रतिवादी सं. 1 के पौत्रगण है तथा वादी संख्या 1 के पुत्र है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रियां है। वादभूमि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता पोकर से विरासतन प्राप्त हुई है तथा पोकर का भी उक्त भूमि अपने पिता कान्हा से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह भूमि दादालाई जद्दी जायदाद है तो पीढी दर पीढी विरासतन दर्ज हो रही है। वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण सभी का जन्म से हक व अधिकार है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)भादरा(हनु.)

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 वादी संख्या 1 के बहने व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां है। उनकी शादी काफी अर्सा पहले वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ने काफी खर्चा करके कर दी है वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के भात छुछक एवं अन्य सामाजिक रस्मों रिवाज में बढ चढकर हिस्सा लिया है तथा काफी खर्चा किया है। वें शादी के बाद से ही अपने ससुराल में रहती है। उन्होंने वादभूमि को कभी काश्त नही किया है तथा ना ही लगान अदा किया है। वादभूमि में उनका जो कुछ भी हक व हिस्सा था वह इन्होंने आपसी प्रेम, स्नेह, विश्वास के कारण वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। वैसे भी हमारे समाज मे लड़कियां अपनी बाप दादा की जमीनों में हिस्सा नही लेने की परम्परा रही है। इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपना समस्त हिस्सा तीनों वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए उनका वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 की भी सेवा चाकरी वादीगण करते है। वादी संख्या 1 प्रतिवादी का एक मात्र पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध हो चुका है तथा उसने स्वयं ने खेती, कारोबार सभी वादीगण को सम्भाल दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपना जो भी हक व हिस्सा था वह आपसी स्नेह एवं प्रेमवंश वादी के हक में परित्याग कर दिया है। इसके अलावा प्रतिवादी सं. 1 के नाम गांव मुन्दड़िया बड़ा में भी अलग से कृषि भूमि रह जाती है जो उन्हीं के नाम रहेगी। मुन्दड़िया बड़ा की भूमि के बदले में भी प्रतिवादी सं. 1 ने अपना हक हिस्सा वादभूमि की बाबत वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए अब प्रतिवादीगण का वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा है। प्रतिवादी सं. 1 का वास्तविक नाम फुलाराम है। राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, व मुन्दड़िया बड़ा की कृषि भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 का नाम फुलाराम दर्ज है। वादभूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम मनफुल नाम सहबन से दर्ज है। मनफुल व फुलाराम एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी संख्या 1 की वल्दीयत में भी फुलाराम नाम दर्ज है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपना जो भी हक व हिस्सा था, वह वादीगण के पक्ष में परित्याग कर देने के कारण तथा वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद होने के कारण वादभूमि के तीनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार बन चुके है। लेकिन वादभूमि अभी भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वादीगण के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए वादीगण अपने हक की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि गांव जिगासरी छोटी की सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 62/61 के खसरा सं. 24 की 8.056 हैक्टर, खसरा सं. 138 की 3.313 हैक्टर, खसरा सं. 251 की 0.240 हैक्टर कुल 11.609 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय तीनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादभूमि की बाबत प्रतिवादी सं. 1 मनफुल उर्फ फुलाराम का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर तीनों वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड तदानुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

वादभूमि में वादीगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने अपना इकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया ने प्रतिवादी सं. 7 ने अपना जवाबदावा पेश किया। बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में मांगेराम पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी जिगासरी छोटी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 62/61 प्रदर्श 1, नकल भू–प्रबंध विभाग सम्वत 2029 खाता संख्या 22 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र फुलाराम ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा जिगासरी छोटी की सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 62/61 के खसरा सं. 24 की 8.056 हैक्टर, खसरा सं. 138 की 3.313 हैक्टर, खसरा सं. 251 की 0.240 हैक्टर कुल 11.609 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय तीनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव इकबालदावा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरी छोटी की सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 62/61 के खसरा सं. 24 की 8.056 हैक्टर, खसरा सं. 138 की 3.313 हैक्टर, खसरा सं. 251 की 0.240 हैक्टर कुल 11. 609 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय तीनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 01 फुलाराम उर्फ मनफुल का नाम कलमजन किया जाये। तथा वाद भमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है । दावा में प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण को 1/3– 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..14.9.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 139/2018

अनवान :

1. मांगेराम पुत्र फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र मांगेराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
3. पवन कुमार पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी जिगरासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। @ कुम्हार @

– वादीगण

बनाम

1. फुलाराम पुत्र पोकर जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
2. कलावती पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
3. धन्नो पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
4. कृष्णा पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
5. सरोज पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
6. बिरखा पुत्री फुलाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किशन लाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव इकबालदावा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरी छोटी की सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 62/61 के खसरा सं. 24 की 8.056 हैक्टर, खसरा सं. 138 की 3.313 हैक्टर, खसरा सं. 251 की 0.240 हैक्टर कुल 11.609 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय तीनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 01 फुलाराम उर्फ मनफुल का नाम कलमजन किया जाये। तथा वाद भमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है । दावा में प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण को 1/3– 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ......14.9.18...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़))

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़